कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी डभरा, जिला सक्ती (छ.ग.)

Email Id: sdmdabhara.steno@gmail.com

//ज्ञापन//

क्रमांक/ 1101 /अ.वि.द./जांच/2026 डभरा दिनाँक 22/05/2026

प्रति,

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला– सक्ती (छ.ग.)

विषय :– वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर यूनिट–1 में बॉयलर में हुई दुर्घटना के संबंध में अंतरिम जांच प्रतिवेदन।

संदर्भ :–1. आपका आदेश क्रमांक/1458/सांख्य लिपि./दण्डा.जांच/2026 सक्ती, दिनांक 14.04.2026

2. आपका पत्र क्रमांक/1895/शिका.शाखा/रा.मा.अ.आ./2026 सक्ती, दिनांक 13.05.2026

———::0000::———

विषयांतर्गत वेदांता पावर लिमिटेड सिंघीतराई तहसील डभरा जिला–सक्ती (छ.ग.) में दिनांक 14.04.2026 को प्लांट के बॉयलर यूनिट–1 में बॉयलर में हुई दुर्घटना के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसके परिपेक्ष्य में अंतरिम जांच प्रतिवेदन कंडिकावार निम्नानुसार है:–

1. घटना कब और कैसे घटित हुई ?

दिनांक 14 अप्रैल 2026 समय दोपहर 02:33 बजे घटना घटित हुई।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 760/अ.वि.द/जांच/2026 डभरा दिनांक 17.04.2026 के माध्यम से मेसर्स वेदांता लिमिटेड छ0ग0 थर्मल पांवर प्लांट ग्राम सिंघीतराई, जिला– सक्ती में दिनांक 14.04.2026 को प्लांट में हुई **दुर्घटना का कारण व जांच प्रतिवेदन** बॉयलर निरीक्षक, उद्योग भवन, तेलीबांधा रायपुर (छ0ग0) से आहूत किया गया।

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन क्र. मुनिवा/JC-125/ GENS/18424/2026-SECTION-BOILER INSEPCTORATE/रायपुर दिनांक 18.05.2026 अनुसार मेसर्स वेदांता लिमिटेड छ0ग0 थर्मल पांवर प्लांट ग्राम सिंघीतराई, जिला– सक्ती में स्थापित बॉयलर पंजीयन क्रमांक CG/734(Unit 01, 600 MW) में हुई दुर्घटना का प्रारंभिक प्रतिवेदन मुख्य रूप से DCS (Distributed Control System) के आंकड़ों एवं घटना स्थल के भौतिक साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर दुर्घटना के संबंध में निम्न जानकारी दी गई –

(1) तकनीकी विश्लेषण:–

घटना के दौरान प्राइमरी एयर फैन में आई तकनीकी बाधा के कारण बॉयलर के फर्नेस के भीतर दहन प्रक्रिया हेतु आवश्यक वायु का संतुलन बिगड़ गया। इसके परिणामस्वरूप बॉयलर के फर्नेस में अत्यधिक मात्रा में बिना जला हुआ ईंधन जमा हो गया।

(2) दुर्घटना का स्वरूप एवं क्षति :–

संचित ईंधन में अचानक प्रज्वलन होने से फर्नेस के भीतर एक तीव्र 'आंतरिक विस्फोट' (Internal Furnace Explosion) हुआ। DCS ग्राफ के अनुसार, मात्र कुछ सेकंड के भीतर फर्नेस में हुए आंतरिक विस्फोट के कारण उत्पन्न आघात तरंगो से बॉयलर संरचना एवं

Scanned with Cam

प्रेशर पार्ट्स को काफी क्षति पहुँची और जिससे जुड़े होने के फलस्वरूप तीव्र खिंचाव (सेकेंडरी डैमेज) से मेन डाउनकमर के 14 (7+7) कनेक्शन पाइप एक साथ फट गए और बायलर प्रणाली के अंतर्गत उच्च दाब एवं ताप का पानी वातावरण में सुपरहीटेड स्टीम के रूप में अचानक फैल गया जिससे जनहानि हुई।

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र के अनुसार तकनीकी विशेषज्ञ दलों द्वारा संयंत्र का स्थल निरीक्षण कर घटना के तकनीकी कारणों की विस्तृत जांच पूर्ण कर ली गई है। जांच प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय जांच समिति के अधीन होने के कारण अंतिम तकनीकी अनुशंसाएं एवं भविष्य हेतु सुरक्षा, सुझाव समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने उपरांत साझा किये जाने का लेख किया गया है।

2. घटना दिनांक को घटना स्थल पर कौन–कौन मजदूर कार्यरत थे एवं घटना में किन–किन मजदूरों की मृत्यु हुई तथा कौन–कौन मजदूर घायल हुये ?

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/762/अ.वि.दं./जांच/2026 डभरा, दिनांक 17.04.2026 के प्रत्युत्तर में सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जांजगीर–चांपा (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 556 जांजगीर चाम्पा दिनांक 11.05.2026 के माध्यम से प्राप्त जानकारी अनुसार दुर्घटना में प्रभावित श्रमिकों की जानकारी निम्नानुसार है –

क्र.	नियोजन का माध्यम (ठेका फर्म)	मृतक (25)	घायल (10)
1	एनजीएसएल के माध्यम से नियोजित	1. रामेश्वर महिलांगे 2. उधव सिंह यादव 3. अमृतलाल पटेल 4. ठंडाराम लहरे	**1. संदीप कुमार (ईलाजरत)** **2. मिलन कुमार वारे (ईलाजरत)** 3. बनवारी लाल 4. परदेशी लाल चन्द्रा 5. भुनेश्वर कुमार चन्द्रा **6. केशव चंद्र (ईलाजरत)** 7. अभिषेक चन्द्रा
2	पॉवरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड के माध्यम से नियोजित	5. रितेश कुमार 6. उपेन्द्र साह 7. अशोक पाड़िया 8. आकिब खान 9. नदीम अंसारी 10. अब्दुल करीम, 11. किस्मत अली	–
3	ग्रोवर एंड वेल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से नियोजित	12. शेख सैफुद्दीन 13. सुब्रत कुमार जेना 14. दिपांकर सिंह 15. कैलाश महतो 16. पप्पू कुमार 17. तरूण कुमार ओझा 18. मानस गिरी 19. सुशांत जेना, 20. राजू 21. ब्रिजेश कुमार 22. मनीष कुमार 23. शिवनाथ मुर्मु 24. चितरंजन दोलई	8. कार्तिक महतो (ईलाजरत)

Scanned with Cam

		25. विश्वजीत साहू	
4	डीसीपीएल के माध्यम से नियोजित	–	9. वंगापण्डु महेश 10. गणेश कुमार साहू

उपरोक्तानुसार कुल 35 श्रमिक दुर्घटना से प्रभावित हुए, जिनमें से 25 श्रमिकों की मृत्यु हुई एवं 10 श्रमिक घायल हुए जिनमें से 6 श्रमिकों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केवल 04 श्रमिक का फोर्टिस ओ.पी. जिंदल अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र रायगढ़ में ईलाज किया जा रहा है।

फोर्टिस ओ.पी. जिंदल अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र रायगढ़ का दिनांक 20.05.2026 का Medical Bulletin संलग्न है।

3. उन परिस्थितियों के कारण जिनके फलस्वरूप घटना घटित हुई थी ?

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 760/अ.वि.द/जांच/2026 डभरा दिनांक 17.04.2026 के माध्यम से मेसर्स वेदांता लिमिटेड छ0ग0 थर्मल पांवर प्लांट ग्राम सिंघीतराई, जिला– सक्ती में दिनांक 14.04.2026 को प्लांट में हुई **दुर्घटना का कारण व जांच प्रतिवेदन** बॉयलर निरीक्षक, उद्योग भवन, तेलीबांधा रायपुर (छ0ग0) से आहूत किया गया।

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन क्र. मुनिवा/JC-125/ GENS/18424/2026-SECTION-BOILER INSEPCTORATE/रायपुर दिनांक 18.05.2026 अनुसार मेसर्स वेदांता लिमिटेड छ0ग0 थर्मल पांवर प्लांट ग्राम सिंघीतराई, जिला– सक्ती में स्थापित बॉयलर पंजीयन क्रमांक CG/734(Unit 01, 600 MW) में हुई दुर्घटना का प्रारंभिक प्रतिवेदन मुख्य रूप से DCS (Distributed Control System) के आंकड़ों एवं घटना स्थल के भौतिक साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर दुर्घटना के संबंध में निम्न जानकारी दी गई –

(1) तकनीकी विश्लेषणः–

घटना के दौरान प्राइमरी एयर फैन में आई तकनीकी बाधा के कारण बॉयलर के फर्नेस के भीतर दहन प्रक्रिया हेतु आवश्यक वायु का संतुलन बिगड़ गया। इसके परिणामस्वरूप बॉयलर के फर्नेस में अत्यधिक मात्रा में बिना जला हुआ ईंधन जमा हो गया।

(2) दुर्घटना का स्वरूप एवं क्षति :–

संचित ईंधन में अचानक प्रज्वलन होने से फर्नेस के भीतर एक तीव्र 'आंतरिक विस्फोट' (Internal Furnace Explosion) हुआ। DCS ग्राफ के अनुसार, मात्र कुछ सेकंड के भीतर फर्नेस में हुए आंतरिक विस्फोट के कारण उत्पन्न आघात तरंगो से बॉयलर संरचना एवं प्रेशर पार्ट्स को काफी क्षति पहुँची और जिससे जुड़े होने के फलस्वरूप तीव्र खिंचाव (सेकेंडरी डैमेज) से मेन डाउनकमर के 14 (7+7) कनेक्शन पाइप एक साथ फट गए और बायलर प्रणाली के अंतर्गत उच्च दाब एवं ताप का पानी वातावरण में सुपरहीटेड स्टीम के रूप में अचानक फैल गया जिससे जनहानि हुई।

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र के अनुसार तकनीकी विशेषज्ञ दलों द्वारा संयंत्र का स्थल निरीक्षण कर घटना के तकनीकी कारणों की विस्तृत जांच पूर्ण कर ली गई है। जांच प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय जांच समिति के अधीन होने के कारण अंतिम तकनीकी अनुशंसाएं एवं भविष्य हेतु सुरक्षा, सुझाव समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने उपरांत साझा किये जाने का लेख किया गया है।

4. सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिला–जांजगीर चांपा/सक्ती द्वारा वेदांता पावर लिमिटेड सिंघीतराई तहसील डभरा जिला–सक्ती (छ.ग.) में उत्पादन प्रारंभ होने से लेकर घटना दिनांक तक कब–कब निरीक्षण किया गया है ? क्या निरीक्षण में कोई खामियां पायी गई है, यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

Scanned with Cam

उक्त संबंध में सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा पत्र क्रमांक 556 जांजगीर–चांपा, दिनांक 11.05.2026 प्रस्तुत किया गया है। (पृथक से जांच रिपोर्ट संलग्न है)

5. उक्त घटना घटित होने का कारण तकनीकी या मानवीय– क्या कारण है ?

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र के अनुसार तकनीकी विशेषज्ञ दलों द्वारा संयंत्र का स्थल निरीक्षण कर घटना के तकनीकी कारणों की विस्तृत जांच पूर्ण कर ली गई है। जांच प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय जांच समिति के अधीन होने के कारण अंतिम तकनीकी अनुशंसाएं एवं भविष्य हेतु सुरक्षा, सुझाव समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने उपरांत साझा किये जाने का लेख किया गया है। केन्द्रीय जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही घटना घटित होने के कारण का निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव होगा।

6. उक्त घटना घटित होने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र के अनुसार तकनीकी विशेषज्ञ दलों द्वारा संयंत्र का स्थल निरीक्षण कर घटना के तकनीकी कारणों की विस्तृत जांच पूर्ण कर ली गई है। जांच प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय जांच समिति के अधीन होने के कारण अंतिम तकनीकी अनुशंसाएं एवं भविष्य हेतु सुरक्षा, सुझाव समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने उपरांत साझा किये जाने का लेख किया गया है। केन्द्रीय जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही घटना की जिम्मेदारी के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव होगा।

7. भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो, इस हेतु रोकथाम के उपाय एवं सुझाव।

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र के अनुसार तकनीकी विशेषज्ञ दलों द्वारा संयंत्र का स्थल निरीक्षण कर घटना के तकनीकी कारणों की विस्तृत जांच पूर्ण कर ली गई है। जांच प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय जांच समिति के अधीन होने के कारण अंतिम तकनीकी अनुशंसाएं एवं भविष्य हेतु सुरक्षा, सुझाव समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने उपरांत साझा किये जाने का लेख किया गया है। केन्द्रीय जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही इस विषय पर टिप्पणी किया जाना उचित होगा।

8. प्रभावित श्रमिकों को प्रदाय की गई आर्थिक सहायता –

उक्त दुर्घटना में 25 मजदूरों की मृत्यु एवं 10 मजदूर घायल हुये थे। वेदांता पावर लिमिटेड सिंघीतराई तहसील डभरा जिला–सक्ती (छ.ग.) द्वारा उक्त दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुये है उनके वारिसानों को 35,00000/– (शब्दों में पैंतीस लाख रूपये) एवं घायल मजदूरों को 15,00000/– (शब्दों में पन्द्रह लाख रूपये) की मुआवजा राशि भुगतान किया गया है। वर्तमान में घायल मजदूर में से 04 मजदूर श्री कार्तिक, श्री मिलन वारे, श्री संदीप, श्री केशव चन्द्र फोर्टिस ओ.पी. जिंदल अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र रायगढ़ में ईलाजरत है।

9. प्रभावित श्रमिकों को राहत प्रदान करने –

मृतकों के परिजनों को केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा क्रमशः 200000.00 (शब्दों में दो लाख रूपये) एवं 500000.00 (पांच लाख रूपये) की राशि प्रदाय किये जाने की घोषणा की गई है साथ ही घायलों को 50000.00 (पचास हजार रूपये) की राशि प्रदाय किये जाने की घोषणा

Scanned with Cam

किया गया है। इसके लिये आपका पत्र क्रमांक 1491/राजस्व राहत शाखा/2026 सक्ती, दिनांक 17.04.2026 प्राप्त होने पर उक्त पत्र के परिपालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/780/अ.वि.द./जांच/2026 डभरा दिनांक 22.04.2026 एवं पत्र क्रमांक/944/अ.वि.द./जांच/2026 डभरा दिनांक 09.05.2026 के माध्यम से जानकारी कलेक्टर, (राजस्व राहत शाखा) जिला सक्ती (छ.ग.) को प्रेषित किया गया है।

जांच प्रतिवेदन सादर संप्रेषित है।

संलग्न :–1. सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जिला जांजगीर–चांपा छ.ग. का जांच प्रतिवेदन की प्रति।
2. मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ का जांच प्रतिवेदन की प्रति।
3. फोर्टिस ओ.पी. जिंदल अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र रायगढ़ का दिनांक 20.05.2026 का Medical Bulletin की प्रति।
4. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/780/अ.वि.द./जांच/2026 डभरा दिनांक 22.04.2026 एवं पत्र क्रमांक/944/अ.वि.द./जांच/2026 डभरा दिनांक 09.05.2026 की छायाप्रति।

(विनय कुमार कश्यप)
अनुविभागीय दण्डाधिकारी
डभरा
जिला- सक्ती (छ.ग.)

Scanned with Cam